

कार्यालय जिलाधिकारी रामपुर

संख्या 33.... / जि0आ0अ0 / आ0दु0व्यवस्थापन / 2019-20 / रामपुर / दिनांक अप्रैल 10, 2019

ई-टेंडर सम्बन्धी विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद रामपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अवशेष देशी शराब की 08, विदेशी मदिरा की 02 एवं बीयर की 04 दुकानों का पंचम चरण का व्यवस्थापन ई-टेंडरिंग/ऑफर के माध्यम से निम्नवत सामग्री के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा-

क्र०सं०	विवरण	नियत तिथि
1	Tender publishing date	10-04-2019 at 15:30
2	Document Download start date	10-04-2019 at 15:30
3	Document Download end date	15-04-2019 at 15:30
4	Pre bid meeting date	11-04-2019 at 11:00
5	Bid submission start date	10-04-2019 at 16:00
6	Bid submission closing date	15-04-2019 at 15:00
7	Technical bid opening date	15-04-2019 at 16:00
8	Financial bid opening date	16-04-2019 at 10:00
9	The place of bid opening	Collectorate compound (NIC), Rampur
10	Tender inviting officer	Collector

ई-टेंडरिंग हेतु शर्तें/नियम आवकारी आयुक्त द्वारा जारी ई-टेंडर सम्बन्धी विज्ञापित दिनांक 10.04.2019 के अनुरूप होंगे जिनमें से मुख्य-मुख्य निम्नवत हैं:-

- देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की सम्बन्धित दुकान की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो कि जिला आवकारी, अधिकारी, रामपुर के नाम से बना हो, जमा करनी होगी। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
- प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 18000/- प्रोसेसिंग शुल्क एवं इस पर देय जी.एस.टी. रू0 3240 भी नियमानुसार देय होगा जो एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उप आवकारी आयुक्त(लाइसेंसिंग) और सहायक लेखाअधिकारी उ0प्र0 एक्सआईज (DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ) के पद नाम से पंजाब नेशन बैंक विपुल खंड लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या 4483000100050375 में जमा करना होगा जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0448300 है।
- बिड जमा करने से सम्बन्धित दिग्दर्शिका आवकारी विभाग की वेबसाईट www.upexcise.in पर ऑनलाइन बिड समिशन शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है। दुकानों की सूची व उनके लिए निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू./वेसिक/ लाइसेंस फीस आदि का विवरण www.rampur.nic.in पर भी उपलब्ध है।
- आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा/बीयर दुकानों हेतु उक्त वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफर दाता को Digital Signature Certificate (DSC) के माध्यम से www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।
- व्यवस्थान की शेष शर्तें इसके पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही पूर्ववत रहेंगी।
- आवेदक किसी भी दुकान हेतु उसके निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू./वेसिक/ लाइसेंस फीस के बराबर अथवा उससे अधिक का टेंडर प्रस्तुत करेगा इससे कम का टेंडर किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
- ई-टेंडर/ऑफर द्वारा पांचवे चरण के व्यवस्थापन हेतु जनपद की देशी शराब/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर विक्री की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू. वेसिक/लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, प्रोसेसिंग शुल्क, धरोहर राशि व जी0एस0टी0/वैट का विवरण निम्नवत है:-


देशी शराब

क्र० सं०	दुकान का नाम	प्रस्थिति	ई-टेंडर ऑफर के लिए वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम एमजीक्यू/वेसिक/लाइसेंस फीस (रू0 में) 3%v/v	ई-टेंडर ऑफर के लिए वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम न्यूनतम/तदुकी (रू0 में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम एमजीक्यू/लाइसेंस फीस पर वांछित धरोहर धनराशि (रू0 में)	वर्ष 2019-20 हेतु ऑफर के लिए वांछित न्यूनतम धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5	6	7
1	गुरुनानक रोड	न0पा0	146898	4406940	440694	6169716
2	मिडवे	न0पा0	40005	1200150	120015	1680210
3	गंगापुर	न0पा0	84501	2535030	253503	3549042
4	एमी	ग्रामीण	6600	198000	19800	277200
5	रम्पुरा बुजुर्ग	ग्रामीण	6600	198000	19800	277200
6	पदमपुर	ग्रामीण	6600	198000	19800	277200
7	नूरपुर	ग्रामीण	14103	423090	42309	592326
8	चौखण्डी	ग्रामीण	8082	242460	24246	339444
विदेशी मदिरा						
1	डूंगरपुर	न0पा0	--	836250	83625	836250
2	माल गोदाम, हल्द्वानी रोड	न0पा0	--	1387500	138750	1387500


वीयर

1	घागा मिल के पास टेमरा	ग्रामीण	--	198750	19875	198750
2	अहरो	ग्रामीण	--	56250	5625	56250
3	रम्पुर बुजुर्ग	ग्रामीण	--	101250	10125	101250
4	गन्नी का मार्केट, बिलासपुर	मण्डला	--	213750	21375	213750

नोट—आवेदक द्वारा उपरोक्त न्यूनतम निर्धारित से अधिक का आफर प्रस्तुत करने पर देशी मदिरा दुकान के प्रकरण में आफर की गयी मात्रा × 3 एवं विदेशी मदिरा व वीयर दुकान के प्रकरण में दुकान हेतु आफर किए गए लाईसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर राशि का ड्राफ्ट अपलोड/जमा करना होगा। वांछित हैसियत की धनराशि देशी मदिरा दुकान के प्रकरण में आफर की गयी मात्रा × 42 एवं विदेशी मदिरा व वीयर दुकान के प्रकरण में दुकान हेतु आफर किए गए लाईसेंस फीस की धनराशि के बराबर होगी। ई-टेंडर/ऑफर से सम्बन्धित प्रेक्षाओं के समाधान के लिये आवेदक कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी रामपुर के हैल्प डेस्क नम्बर 9454467067 तथा जिला आवकारी अधिकारी/आवकारी निरीक्षकों से उनके मोबाईल नम्बर 9454466505, 9454466506, 9454466507, 9454466567, 9454466513, 9454466512, 9454466815 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


 (अवधेश राम)
 10.4.19

जिला आवकारी अधिकारी
रामपुर।


 (आन्जनेय कुमार सिंह)
 जिलाधिकारी,
 रामपुर।

प्रकाशन हेतु नहीं

संख्या _____ / तददिनांक।

- सम्पादक श.म. उजाला/२/१० को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति कम से कम स्थान में प्रकाशित कर अयोधरताक्षरी कार्यालय में जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित विल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- सयुक्त आवकारी आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ।
- उप आवकारी आयुक्त, मुरादाबाद प्रभार, मुरादाबाद।
- प्रभारी अधिकारी जिला सूचना विज्ञान केन्द्र रामपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना जनपद की वेब साईट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
- जिला सूचना अधिकारी, रामपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त का अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
- समस्त आवकारी निरीक्षक रामपुर को इस निर्देश के साथ कि पांचवे चरण में अवशेष दुकानों को शतप्रतिशत व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन की प्रतियां जनपद/तहसील/आवकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

Ankit

(अवधेश राम)
 जिला आवकारी अधिकारी
 रामपुर।